प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता}

1. जिला- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थाना:- सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2023
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......15/2023...... दिनांक.........17/1/2023.........
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) 2018, धारा:-7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें:- ---------------------------
   (3) अधिनियम ------------------------------------ धारायें:--------------------------------
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें:- ---.
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ---328--------समय---------3:15 P.M.----------
   (ब) अपराध के घटने का दिन:- सोमवार, दिनांक 16.01.2023 समय 12.55 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 12.01.2023 समय 02.30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म:- लिखित
5. घटनास्थल:-
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- चौकी से बदिश पूर्व, बफासला करीबन 35 किलोमीटर दूर
   (ब) पता:- आरटीओ कृषि फार्म डोडियाली, तहसील आहोर जिला जालोर।
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो:- नहीं
6. परिवादी/सूचनाकर्ता:-
   (अ) नाम:- श्री माधुसिंह
   (ब) पिता का नाम:- श्री विशनसिंह
   (स) जन्मतिथि/वर्ष:- उम्र 55 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता:- भारतीय
   (य) पाटपोर्ट संख्या:--------नहीं---------------- जारी होने की तिथी ------नहीं-------------
   (र) व्यवसाय:- कृषि कार्य
   (ल) पता:- ग्राम मोरुआ, पुलिस थाना आहोर जिला जालोर मो.नं. 9571513099
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित:-
   01. श्री रुपनारायण प्रजापत पुत्र श्री धर्मीलाल प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम देदरोली, तहसील/थाना हिण्डौन सीटी, जिला करोली, हाल तकनिकी सहायक द्वितीय फिडर इन्चार्ज डोडियाली, कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम उम्मेदपुर जिला जालोर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:- कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां:---
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य:- ट्रेप राशि 6,000/- रुपये
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ---
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट --

सेवामे

श्रीमान एडीशनल एसपी साहब

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जालोर

विषयः- रिश्वत लेते हुए को रंगेहाथों गिरफ्तार करवाने बाबत्।

महोदयजी

उक्त विषय मे अर्ज है कि मै प्रार्थी श्री माधुसिंह पुत्र श्री विशनसिंह जाति राजपूत उम्र 55 साल निवासी ग्राम मोरुआ पुलिस थाना आहोर जिला जालोर का रहना वाला हूँ। ग्राम डोडियाली की सरहद मे आरटीओ फार्म नामक बेरे पर मै तथा श्री जगदीश सुथार निवासी उम्मेदपुर दोनो काश्तकारी करते है तथा उक्त आरटीओ कृषि फार्म को मैने व श्री जगदीश सुथार ने 1/3 के हिसाब से काश्त पर ले रखा है, उक्त कृषि बेरे पर तीन ट्यूबेल होकर तीन अलग-अलग विधुत कनेक्शन हो रखे है, जिन पर हमारे लाईट फिडर डोडियाली लगता है। हमारे उक्त बेरे पर एक विधुत मीटर खराब होने पर उसकी सूचना मैने श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन को दी तो उसने बताया की मै आपके बेरे पर आकर चैक कर लूंगा। कल दिनांक 11.01.2023 को श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन हमारे उक्त बेरे पर आया तथा मीटर चैक किया और कहा कि मीटर खराब है उक्त खराब मीटर बदलने तथा इस सीजन मे निर्बाध रुप से विधुत आपूर्ति करने व वीसीआर नहीं भरवाने की एवज मे सात हजार रुपये रिश्वत के रुप मे मांग की है। मै तथा श्री जगदीश सुथार हमारे वाजिब कार्य की एवज मे श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन को रिश्वत के रुप मे सात हजार रुपये नहीं देना चाहते है, श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकड़वाना चाहते है। हमारे व श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के मध्य कोई रंजीश या लेन-देन बकाया नही है। रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांकः- 12.01.2023

प्रार्थी
सही/-
श्री जगदीश पुत्र श्री टीकमा राम
जाति सुथार उम्र 46 साल
निवासी उम्मेदपुर तहसील आहोर
जिला जालोर
मो.नं. 9828716545

प्रार्थी
सही/-
श्री माधुसिंह पुत्र श्री विशनसिंह
जाति राजपूत उम्र 55 साल
निवासी ग्राम मोरुआ पुलिस थाना आहोर
जिला जालोर
मो.नं. 9571513099

सही/-
दीनदयाल
निरीक्षक पुलिस
भ्रनिब्यूरो जालोर।
12.01.2023

सही/-
डां. महावीरसिंह राणावत
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रनिब्यूरो जालोर।
12.01.2023

सही/-
श्री चम्पालाल
कनिष्ट सहायक पं.सं. जालोर,
16.01.2023

सही/-
श्री दिनेश कुमार
कनिष्ट सहायक पं.सं. जालोर
16.01.2023

कार्यवाही पुलिस दिनाँक 12.01.2023 समय 02.30 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री माधुसिंह पुत्र श्री विशनसिंह जाति राजपूत उम्र 55 साल निवासी ग्राम मोरुआ पुलिस थाना आहोर जिला जालोर, मोबाईल नंबर 9571513099 एवं श्री जगदीश पुत्र श्री टीकमा राम जाति सुथार उम्र 46 साल निवासी उम्मेदपुर तहसील आहोर जिला जालोर मो.नं. 9828716545 ने कार्यालय हाजा मे उपस्थित होकर परिवादी श्री माधुसिंह ने एक कम्प्यूटराईज्ड लिखित रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड कि फोटो-प्रति डां महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर ने रिपोर्ट का अवलोकन मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष मे तलब कर उपस्थित परिवादीगण का परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री माधुसिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर आगामी ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। जिस पर मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री माधुसिंह एवं श्री जगदीश को हमरा लेकर स्वयं के कार्यालय कक्ष मे आया तथा परिवादी श्री माधुसिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री माधुसिंह ने रिपोर्ट मे अंकित किया की मै प्रार्थी श्री माधुसिंह पुत्र श्री विशनसिंह जाति राजपूत उम्र 55 साल निवासी ग्राम मोरुआ पुलिस थाना आहोर जिला जालोर का रहना वाला हूँ। ग्राम डोडियाली की सरहद मे आरटीओ फार्म नामक बेरे पर मै तथा श्री जगदीश सुथार निवासी उम्मेदपुर दोनो काश्तकारी करते है तथा उक्त आरटीओ कृषि फार्म को मैने व श्री जगदीश सुथार ने 1/3 के हिसाब से काश्त पर ले रखा है, उक्त कृषि बेरे पर तीन ट्यूबेल होकर तीन अलग-अलग विधुत कनेक्शन हो रखे है, जिन पर हमारे लाईट फिडर डोडियाली लगता है। हमारे उक्त बेरे पर एक विधुत मीटर खराब होने पर उसकी सूचना मैने श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन को दी तो उसने बताया की मै आपके बेरे पर आकर चैक कर लूंगा। कल दिनांक 11.01.2023 को श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन हमारे उक्त बेरे पर आया तथा मीटर चैक किया और कहा कि मीटर खराब है उक्त खराब मीटर बदलने तथा इस सीजन मे निर्बाध रुप से विधुत आपूर्ति करने व वीसीआर नहीं भरवाने की एवज मे सात हजार रुपये रिश्वत के रुप मे मांग की है। मै तथा श्री जगदीश सुथार हमारे वाजिब कार्य की एवज मे श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन को रिश्वत के रुप मे सात हजार रुपये नहीं देना चाहते है, श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकड्वाना चाहते है। हमारे व श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के मध्य कोई रंजीश या लेन-देन बकाया नही है। रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावें वगैरा रिपोर्ट के परिपेक्ष्य मे पुलिस दरियाफ्त पर परिवादी श्री माधुसिंह ने यह रिपोर्ट अपने किसी परिचित से कम्प्यूटर से टाईप करवाकर प्रस्तुत करना, रिपोर्ट पर स्वयं तथा जगदीश के अंगूस्त निशान/हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट मे लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री माधुसिंह ने यह भी बताया कि श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन काफी भ्रष्ट प्रवृति का है जो काश्तकारों से विधुत सप्लाई समय पर देने का कहकर अवैध वसूली करता है, पैसे नही देने पर काश्तकारों को नाजायज रूप से परेशान करता है। श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन मेरे से रिश्वत संबधी वार्ता कर लेगें, उपस्थित सह-परिवादी श्री जगदीश ने परिवादी श्री माधोसिंह के उपरोक्त कथनो की ताईद की। परिवादी श्री माधुसिंह की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला किसी लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशी मांग का

गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय हाजा मे उपस्थित कानि. श्री कालूराम नं. 477 को कार्यालय कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री माधुसिंह एवं श्री जगदीश से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया जाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्डर मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री माधुसिंह को चलाने की समझाईस की गई। परिवादी श्री माधुसिंह ने बताया कि श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन कल डोडियाली फिडर पर मिलेगें जो वहां पर मैरे से मैरे कार्य संबंधी वार्ता कर लेगें। डिजीटल टेप रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वयं की अलमारी मे सुरक्षित रखा। परिवादी श्री माधुसिंह व श्री कालूराम कानि. 477 के आपस मे मोबाईल नंबरो का आदान-प्रदान करवाया जाकर परिवादी श्री माधुसिंह व सह-परिवादी श्री जगदीश को प्रकरण मे गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रुकस्त किया गया तथा श्री कालूराम कानि. को कल दिनांक 13.01.2023 को कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर डोडियाली पहूंच परिवादी श्री माधुसिंह से संपर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कर वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। दिनांकः- 13.01.2023 को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय हाजा मे उपस्थित श्री कालूराम कानि. नं. 477 को कार्यालय कक्ष मे तलब किया जाकर पूर्व निर्देशानुसार कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर डोडियाली पहूंच परिवादी श्री माधुसिंह से संपर्क कर संदिग्ध श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन से संपर्क कर वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु पुनः आवश्यक निर्देश दिए जाकर गोपनीय सत्यापन हेतु ग्राम डोडियाली की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 02.00 पी.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन मे गये हुए श्री कालूराम कानि. नं. 477 मय परिवादी श्री माधुसिंह के कार्यालय हाजा मे मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। श्री कालूराम कानि. ने कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात मे मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर बताया की निर्देशानुसार रवाना होकर परिवादी श्री माधुसिंह के बेरा आरटीओ फार्म डोडियाली पहूंचा जहां पर परिवादी श्री माधुसिंह उपस्थिति मिला। करीब 12.20 पी.एम. के आस-पास श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के मोबाईल नंबर 9079613227 से परिवादी श्री माधुसिंह के मोबाईल नंबर 9571513099 पर कॉल आया व बताया की आप एस्सार पेट्रोल पम्प डोडियाली के पास आ जाओ। जिस पर मन् कानि. ने परिवादी श्री माधुसिंह को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर आरटीओ कृषि फार्म डोडियाली से कुछ दूरी पर स्थित एस्सार पेट्रोल पम्प के पास श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन से वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया तथा मन् कानि. उक्त रोड पर अपनी पहचान छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार मे व्यस्त रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री माधुसिंह स्वयं की मोटरसाईकिल से रवाना होकर मैरे पास पहूंचे, परिवादी श्री माधुसिंह को पूर्व मे सुपुर्द सुदा डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् कानि. ने अपने कब्जे मे लिया, परिवादी श्री माधुसिंह ने बताया की एस्सार पेट्रोल पम्प के पास श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन उपस्थित आये थे उनसे मैने हमारे कृषि फार्म पर जले हुए मीटर के बारे मे बातचीत की तो उन्होने मीटर शीघ्र ही बदलने तथा इस सीजन मे समय पर विधुत आपूर्ति करने एवं वीसीआर सीट नहीं भरवाने की एवज मे 6,000/- रुपये मेरे द्वारा हाथा जोडी करने पर लेने हेतु सहमत हुआ, उक्त रिश्वती राशि सोमवार दिनांक 16.01.2023 को देना तय हुआ। उपस्थित परिवादी

श्री माधुसिंह ने श्री कालूराम कानि. के कथनो की ताईद की। डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो रिश्वती राशि मांग करने से संबंधीत वार्ता रिकार्ड होना तथा रिश्वती राशि मांग की पुष्टी होना पाया गया। डिजीटल टेप रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा, आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। अग्रीम ट्रेप कार्यवाही सोमवार दिनांक 16.01.2023 को करना तय होने से परिवादी श्री माधुसिंह को दिनांक 16.01.2023 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 6,000/- रुपये लेकर इस कार्यालय मे उपस्थित आने हेतु पाबंद कर प्रकरण मे गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुकस्त किया गया। तत्पश्चात दिनांकः- 15.01.2023 को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से इस कार्यालय के पत्रांक 80 दिनांक 15.01.2023 द्वारा श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति जालोर के नाम तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 को मय तहरीर के पंचायत समिति जालोर के लिए रवाना गया जो कार्यालय पंचायत समिति जालोर के पत्रांक 2478 दिनांक 15.01.2023 द्वारा श्री चंपालाल कनिष्ट सहायक तथा श्री दिनेश कुमार कनिष्ट सहायक पं.सं. जालोर को कल दिनांक 16.01.2023 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर इस कार्यालय मे उपस्थित आने हेतु पाबंद कर उपस्थित आया। दिनाँक 16.01.2023 समयः- 07.00 ए.एम. पर मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता कार्यालय हाजा मे उपस्थित आया। पूर्व पाबंद सुदा परिवादी श्री माधुसिंह तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री चम्पालाल कनिष्ट सहायक व श्री दिनेश कुमार कनिष्ट सहायक पंचायत समिति जालोर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आये, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने उपस्थित गवाहान का परिचय प्राप्त किया तो क्रमशः श्री चम्पालाल पुत्र श्री मंछीलाल जाति प्रजापत उम्र 39 साल निवासी तिलक द्वारा के अन्दर, कुम्हारों का वास जालोर पुलिस थाना कोतवाली जालोर जिला जालोर, हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति जालोर, जिला जालोर मो.नं. 9460979063 तथा दूसरे ने श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री पांचुराम जाति गुर्जर उम्र 42 साल निवासी विष्णु नगर रेल्वे क्रोसिंग के पास, कृषि मण्डी के पिछे, आहोर रोड, पुलिस थाना कोतवाली जालोर जिला जालोर हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति जालोर जिला जालोर मो.नं. 9460783187 होना बताया, उपस्थित परिवादी श्री माधुसिंह से दोनो स्वतंत्र गवाहान का परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दोनो गवाहान को पढकर सुनाई गई व पढाई गई। दिनांक 13.01.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड सुदा वार्तालाप दोनो गवाहान को सुनाई गई। दोनो गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढने व डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड सुदा वार्तालाप को सुनने के पश्चात परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली की व परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दोनो गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनो गवाहान ने उक्त कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह रहने/बनने की सहमति मांगने पर अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान के रुबरू परिवादी श्री माधुसिंह पुत्र श्री विशनसिंह जाति राजपूत उम्र 55 साल निवासी ग्राम मोरुआ पुलिस थाना आहोर जिला जालोर को आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन डोडियाली, कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम उम्मेदपुर जिला जालोर को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो

परिवादी श्री माधुसिंह ने पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के 12 नोट कुल 6,000/- रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है:-

01. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 2RF 799378
02. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 2UR 634246
03. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7AU 922159
04. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 5EN 420226
05. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 3PN 344666
06. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 8QR 092200
07. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 3QP 685334
08. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 6RE 611079
09. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 4BE 544307
10. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 7FU 873834
11. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 2BT 374467
12. पाँच सौ रुपये का एक नंबरी नोट नंबरः- 2BT 374468

तत्पश्चात कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 से मंगवाई जाकर श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 से उक्त 6,000/- रूपये के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री माधुसिंह की जामा तलाशी गवाह श्री चम्पालाल कनिष्ट सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री माधुसिंह के पहने हुए शर्ट की बांयी जेब में श्री गुलाबसिंह कानि0 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री माधुसिंह को हिदायत दी गई कि रास्ते मे उक्त राशि को नहीं छुऐ तथा आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के मांगने पर ही उक्त राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वह इस राशि को कहां रखता हैं अथवा छुपाता है, इस बात का ध्यान रखे। उक्त राशि आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन द्वारा प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फैर कर या मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया, जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गुलाबसिंह कानि. 140 के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। फिनोफथलीन पाउडर की शिशि को श्री

गुलाबसिंह कानि0 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग मे ली जाने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया, फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री गुलाबसिंह कानि0 140 को जाब्ता की कमी के कारण ट्रेप पार्टी मे शामिल करते हुए निर्देश दिए गए कि रिश्वती राशि के आदान-प्रदान के पश्चात परिवादी द्वारा ईशारा करने के उपरान्त तथा हाथ धोवन की कार्यवाही के पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तलब करने पर मौके पर उपस्थित आवें, उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी पृथक से तैयार की जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री माधुसिंह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 13.01.2023 को परिवादी श्री माधुसिंह व आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है को सुन-सुनकर समझकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार करवाई जाकर एक पेन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर/अंगूस्त निशान करवाये गये एवं दूसरे पेन ड्राईव को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री माधुसिंह द्वारा की गई। तत्पश्चात समय 10.30 ए.एम. पर मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री माधुसिंह तथा स्वतंत्र गवाहान श्री चम्पालाल कनिष्ट सहायक व श्री दिनेश कुमार कनिष्ट सहायक एवं ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93, श्री सुखाराम हैड.कानि. 96, श्री विक्रमसिंह कानि. 556, श्री गुलाबसिंह कानि. 140, श्री आदूराम कानि. 142, श्री कालूराम कानि. 477 मय ट्रेप बॉक्स आवश्यक सामग्री, डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप-प्रिन्टर के जरिये निजी वाहनो के ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्रनिब्यूरो जालोर से रवाना होकर परिवादी श्री माधुसिंह के आरटीओ कृषि फार्म डोडियाली पहूंचे एवं आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन की उपस्थिति ज्ञात करने का निर्णय लिया जाकर समय करीबन 12.15 पी.एम.पर परिवादी श्री माधुसिंह से उसके मोबाईल नंबर 9571513099 से आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के मोबाईल नंबर 9079613227 पर आरोपी की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने कहा कि मै कुछ ही देर मे आपके फार्म पर ही आ रहा हूँ। जिस पर नोटो के फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 को निर्देशित किया की उक्त आरटीओ फार्म डोडियाली के मुख्य गेट के बाहर रोड पर पहूंचकर अपनी पहचान छुपाते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त गेट से इस फार्म के अन्दर प्रवेश होने पर शीघ्र ही मन् निरीक्षक पुलिस को सूचित करें। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं शेष ब्यूरो जाब्ता की उपस्थिति मे उक्त आरटीओ फार्म डोडियाली मे स्थित ट्यूबेल के आस-पास सरसों की फसल मे छुपकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली रिश्वती राशि लेन-देन को देखने तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करने का निर्णय लिया गया। परिवादी को

हिदायत दी गई की आरोपी के उक्त स्थान पर पहूंचने व लेन-देने होने के पश्चात उक्त कृषि फार्म बिकने वाला है इसके ग्राहक आये हुए है आदि कहकर गोपनीय ईशारा करें। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री माधोसिंह ने बताया की उक्त आरटीओ फार्म डोडियाली के मुख्य गेट से एक व्यक्ति अपनी मोटरसाईकिल पर आ रहा है जो वही लाईनमैन है, जिस पर कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो दल के सदस्यगण शीघ्र ही खड़ी सरसों की फसल मे अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाने हेतु मामूर हुए। तत्पश्चात दिनांक 16.01.2023 को समय 12.55 पी.एम. पर परिवादी श्री माधुसिंह ने आरटीओ कृषि फार्म डोडियाली मे स्थित ट्यूबेल के पास खड़े होकर ट्रेप पार्टी के सदस्य जो आस-पास सरसों की फसल मे छुपे हुए है, को यह कहते हुए कि उक्त कृषि फार्म बिकने वाला है इसके ग्राहक आये हुए है आदि कहकर रिश्वत राशि लेन-देन के पश्चात ट्रेप पार्टी को सूचित करने बाबत् कहा जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के सदस्यगण एवं स्वतंत्र गवाहान के शीघ्र ही हरकत मे आते हुए सरसों की फसल से बाहर निकलकर रवाना होकर परिवादी श्री माधुसिंह के पास पहूंचे, पूर्व मे सुपुर्द सुदा डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री माधुसिंह से प्राप्त कर मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे मे लिया, परिवादी ने अपने पास खड़े पेन्ट शर्ट पहने हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह ही श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन है जिसने अभी-अभी मेरे से मांग कर 6,000/- रुपये रिश्वती राशि प्राप्त कर दोनो हाथो से गिनकर अपने पहने हुए जिन्स पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब मे रखे है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए स्वयं एवं ट्रेप दल का परिचय बताते हुए उक्त व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री रुपनारायण प्रजापत पुत्र श्री धर्मीलाल प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम देदरोली, तहसील/थाना हिण्डौन सीटी, जिला करोली, हाल तकनिकी सहायक द्वितीय फिडर इन्चार्ज डोडियाली कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम उम्मेदपुर जिला जालोर मोबाईल नंबर 9079613227 होना बताया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पास ही खड़े परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा की आप इन्हें पहचानते है एवं परिवादी से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है, जिस पर आरोपी ने बताया कि मैं इनको जानता हूँ, यह श्री माधुसिंह निवासी मोरुआ के रहने वाले है तथा इसी बेरे पर काश्तकारी करते है। मै इनके बेरे पर जंफर ठीक करने आया था, मैंने इनसे किसी भी प्रकार की कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है, जिस पर पास ही उपस्थित परिवादी ने स्वैच्छा से श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के कथन का खण्ड़न करते हुए बताया कि यह झूठ बोल रहे है, इन्होंने मेरे से मेरे व श्री जगदीश सुथार के उक्त कृषि बेरे का खराब मीटर बदलने तथा इस सीजन मे निर्बाध रुप से विधुत सप्लाई देने एवं वीसीआर सीट नहीं भरवाने की एवज में 6,000/- रुपये रिश्वत लेकर अपने दोनो हाथो से गिनकर अपने पहने हुए जीन्स पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब मे रखे है जो अभी भी इनके जेब मे पड़े है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन की जामा तलाशी गवाह श्री चम्पालाल कनिष्ट सहायक से लिवाई गई तो आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के पहने हुए जीन्स पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब मे एक नोटो की गड्डी पाई गई, उक्त जेब से नोटो की गड्डी बाहर निकलवाई जाकर उक्त गवाह से नोटो को गिनवाए गए तो 500-500 रुपये के 12 नोट कुल 6,000/- रुपये होना पाया गया। उपस्थित दूसरे गवाह श्री दिनेश कुमार को पूर्व मे तैयार सुदा फर्द पेशकशी सुपुर्द कर उक्त नोटो के नंबरो का मिलान करवाया गया तो पूर्व मे

तैयार फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नंबर हुबहु होना पाये गये। उक्त 6,000/- रुपये रिश्वती राशि गवाह श्री चम्पालाल को सुरक्षार्थ उसके पास रखने हेतु सुपुर्द किए गए। तत्पश्चात आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन को उसके पास मिले 6,000/- रुपये के बारे मे पुनः पुछा गया तो श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन निरुत्तर होकर अपनी नजरे झुका ली तथा हाथा-जोडी करते हुए कहने लगा कि साहब गलती हो गई मुझे माफ करदो आईन्दा ऐसा मौका कभी नही दूंगा मेरी नौकरी चली जायेगी मैंने लालच वश श्री माधुसिंह से उक्त राशि उनके ट्यूबेल के मीटर को चेंज करने बाबत् ली है। तत्पश्चात आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के दाहिने हाथ को कलाई के ऊपर से श्री विक्रमसिंह कानि. तथा बांये हाथ को कलाई के ऊपर से श्री कालूराम कानि. से पकड़वाये जाकर दस्तयाब कर यथास्थिति मे ही हमरा ट्रेप दल के सहयोग से निजी वाहन मे बैठाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप दल के सदस्यगण निजी वाहनो से अग्रीम हाथ-धोवन की कार्यवाही हेतु रवाना होकर नजदीकी पुलिस चौकी उम्मेदपुर पहूंचे। मन् निरीक्षक पुलिस ने पुलिस चौकी उम्मेदपुर के इंचार्ज श्री गोपालसिंह हैड.कानि. को अपना व हमरायान का परिचय देते हुए एक कमरे मे उपरोक्त हाथ-धोवन की कार्यवाही करने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त की। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान,परिवादी एवं ट्रेपदल के सदस्यगण मय दस्तयाब सुदा आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन को यथास्थिति मे उक्त कमरे मे लाया गया। अग्रीम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए रुबरु गवाहान के साथ मे लाए ट्रेप बॉक्स मेसे दो कांच की साफ गिलासे निकलवाई जाकर प्रत्येक गिलास मे पीने का साफ पानी भरवाया जाकर प्रत्येक गिलास मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त दोनो गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल मे आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाईदार गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने धोवन का रंग हल्का झाईदार गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो कांच की अलग-अलग साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार कांच के दूसरे गिलास मे तैयार रंगहीन घोल मे आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के बांये हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने धोवन का रंग हल्का झाईदार गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो कांच की अलग-अलग साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन को चौकी उम्मेदपुर से एक पहनने हेतु लॉअर की व्यवस्था कर पहने हुए जीन्स पेन्ट को उतरवा कर लॉअर पहनाया गया। ट्रेप बॉक्स मे से अन्य साफ कांच की गिलास को निकालकर गिलास मे साफ पीने का पानी भरवाया गया तथा उक्त गिलास मे एच चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त गिलास के घोल मे कोई परिवर्तन नहीं आया तत्पश्चात आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन द्वारा रिश्वती राशि

प्राप्त कर गिनकर अपने पहने हुए जीन्स पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब मे रखे थे उक्त जीन्स पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब को उलटवा कर तैयार रंगहीन घोल मे दो-चार बार डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी आया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शिशियों मे आधा-आधा भरवाया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क पी-1 तथा पी-2 अंकित किया जाकर मौके पर ही सील मोहर किया गया। तत्पश्चात आरोपी के उक्त जीन्स पेन्ट को धुप एवं हवा मे सुखाया जाकर उक्त जीन्स पेन्ट की उक्त जेब को उलटवा कर जेब पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर जीन्स पेन्ट जिस पर अंग्रेजी मे JACK& JONES रंग हल्का नीला स्काई ब्ल्यू लिखा है, को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "G" अंकित किया गया तथा सील मोहर किया जाकर तहवील एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि 6,000/- रुपये बरामद हुए थे जो सुरक्षार्थ स्वतंत्र गवाह श्री चंपालाल कनिष्ट सहायक के पास रखवाये गये थे, को उपस्थित गवाह श्री दिनेश कुमार कनिष्ट सहायक को पूर्व मे तैयार सुदा फर्द पेशकशी सुपुर्द कर बरामदा रिश्वती राशि के नोटो के नंबरों का पुनः मिलान करवाया गया तो फर्द पेशकशी के मुताबिक हुबहु नोट होना पाया गया, उक्त बरामदा रिश्वती राशि 6,000/- रुपये को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर मार्क "R" अंकित किया जाकर तहवील एसीबी लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एवं हाथ धोवन पृथक से मूर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई। रिश्वती राशि लेन-देन के दौरान डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड सुदा वार्तालाप को सुना गया तो लेन-देन वार्तालाप रिकार्ड होना पाया गया जिसकी आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार करने का निर्णय लिया गया। ताबाद समय 03.00 पी.एम. पर श्री सुखाराम हैड.कानि., श्री विक्रमसिंह कानि., श्री कालूराम कानि., श्री गुलाबसिंह कानि.को दस्तयाब सुदा आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन मय ट्रेप बॉक्स, धोवन के सेम्पल व मालखाना आईटम मुताबिक फर्दात के सुपुर्द कर निजी वाहन से भ्रनिब्यूरो जालोर के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया तथा आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन का सेवा विवरण बाबत् सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम उम्मेदपुर के नाम तहरीर पुलिस चौकी उम्मेदपुर इंचार्ज श्री गोपालसिंह हैड.कानि. को आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द की गई एवं मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री चम्पालाल व श्री दिनेश कुमार तथा परिवादी श्री माधुसिंह, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड.कानि., श्री आदूराम कानि. के चौकी उम्मेदपुर से रवाना होकर घटनास्थल आरटीओ फार्म डोडियाली पहूंच रुबरु स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से तैयार कर शामिल रनिंग नोट किया गया। तत्पश्चात आरटीओ फार्म डोडियाली से मय हमरायीयान के जरिये निजी वाहन से रवाना होकर जालोर पहूंचा जहां पूर्व मे पुलिस चौकी उम्मेदपुर से रवाना सुदा श्री सुखाराम हैड.कानि., श्री विक्रमसिंह कानि., श्री कालूराम कानि., श्री गुलाबसिंह कानि.मय दस्तयाब सुदा आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन मय ट्रेप बॉक्स, धोवन के सेम्पल व मालखाना आईटम मुताबिक फर्दात तथा आवश्यक सामग्री के भी उपस्थित आये। दस्तयाब सुदा आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन की निगरानी हेतु

श्री कालूराम कानि. व श्री गुलाबसिंह कानि. को मामूर कर आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री माधुसिंह की उपस्थिति मे दोनो स्वतंत्र गवाहान के रुबरु आज दिनांक 16.01.2023 को परिवादी श्री माधुसिंह व आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है को सुन-सुनकर समझकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार करवाई जाकर एक पेन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडो की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरे पेन ड्राईव को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री माधुसिंह द्वारा की गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत मालखाना आईटम क्रमशः आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के दाहिने तथा बांये हाथ का धोवन मार्क क्रमशः आर.एच.1, आर.एच.2, एल.एच.1, एल.एच.2 शील्ड सुदा तथा आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब का धोवन मार्क पी.1व पी.2 शील्ड सुदा एवं उक्त जीन्स पेन्ट का पैकेट मार्क “G” शील्ड सुदा, व बरामदा रिश्वती राशि 6,000/- रुपये का शिल्ड सुदा पैकेट मार्क “R” तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 13.01.2023 की एक मूल पेन ड्राईव शील्ड सुदा व एक डब पेन ड्राईव खुली हालात मे व रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप दिनांक 16.01.2023 की एक मूल पेन ड्राईव शील्ड सुदा व एक डब पेन ड्राईव खुली हालात मे फर्दात के मुताबिक वजह सबूत मालखाना आईटम्स मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड.कानि. 96 को दुरस्त हालात मे सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम उम्मेदपुर जिला जालोर के पत्रांक 3534 दिनांक 16.01.2023 के द्वारा आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत लाईनमैन का सेवा विवरण जरिए ई-मेल प्राप्त हुआ, सेवा विवरण बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट किया गया। तत्पश्चात दिनांकः- 16.01.2023 को समय 07.30 पी.एम. पर मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही मे आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत पुत्र श्री धर्मीलाल प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम देदरोली, तहसील/थाना हिण्डौन सीटी, जिला करोली, हाल तकनिकी सहायक द्वितीय फिडर इन्चार्ज डोडियाली कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम उम्मेदपुर जिला जालोर के विरुद्व प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रमाणित पाया जाने पर उसको इसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह किया जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत करवाते हुए धारा उपरोक्त मे हस्व कायदा जरिए फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया, फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई। आरोपी के गिरफ्तारी की सूचना उसके कहेनुसार उसके भाई भरतसिंह को मोबाईल नंबर 9784910702 पर दी गई। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही मे परिवादी श्री माधुसिंह तथा स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री चम्पालाल कनिष्ट सहायक व श्री दिनेश कुमार कनिष्ट सहायक की आवश्यकता नहीं होने से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को रुकस्त किया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत पुत्र श्री धर्मीलाल प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम देदरोली, तहसील/थाना हिण्डौन सीटी, जिला करोली, हाल तकनिकी सहायक द्वितीय फिडर इन्चार्ज डोडियाली कार्यालय सहायक

अभियंता जोधपुर डिस्कॉम उम्मेदपुर जिला जालोर द्वारा परिवादी श्री माधुसिंह से आरटीओ कृषि फार्म डोडियाली पर जले हुए विधुत मीटर को बदलने तथा इस सीजन निर्बाध विधुत आपूर्ति करने एवं वीसीआर सीट नहीं भरवाने की एवज मे 6,000/- रुपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त करना उपरोक्त कृत्य अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध घटीत करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री रुपनारायण प्रजापत पुत्र श्री धर्मीलाल प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम देदरोली, तहसील/थाना हिण्डौन सीटी, जिला करोली, हाल तकनिकी सहायक द्वितीय फिडर इन्चार्ज डोडियाली कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम उम्मेदपुर जिला जालोर के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय

(दीनदयाल)

निरीक्षक पुलिस

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

जालोर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री रूपनारायण प्रजापत पुत्र श्री धर्मीलाल प्रजापत, तकनीकी सहायक द्वितीय, फीडर इन्चार्ज डोडियाली, कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम उम्मेदपुर, जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 15/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

17.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 112-15 दिनांक 17.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (पवस), जोधपुर डिस्कॉम, जालोर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

17.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।